

HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 6457/2026
CNR: RJHC020392842026 | URN: CRLMB / 11619U / 2026

Mohan Singh S/o Shri Kishanlal, Aged About 40 Years, R/o Galib
Saiyad (Footikhel), Police Station Akhaipura, District Alwar (Raj.)

-----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

-----Respondent

For Petitioner(s)	: Mr. Gurvindra Singh
For Respondent(s)	: Mr. Shree Ram Dhakar, PP

HON'BLE MRS. JUSTICE SHUBHA MEHTA

Order

05/10/2026

प्रार्थी-अभियुक्त की ओर से धारा 482 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रावधानों के अन्तर्गत आबकारी थाना अलवर पश्चिम, जिला-अलवर में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 02/2026-27 अपराध अन्तर्गत धारा 19/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम में अग्रिम जमानत का लाभ दिये जाने हेतु यह प्रार्थनापत्र पेश किया गया है।

बहस सुनी गई। प्रार्थी-अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि प्रार्थी को प्रकरण में मिथ्या संलिप्त किया गया है। जिस समय व तथाकथित स्थान से शराब की बरामदगी हुई है, उस समय प्रार्थी मौके पर नहीं पाया गया। प्रार्थी के व्यक्तिगत आधिपत्य से शराब बरामद नहीं हुई है, केवल उसे यह कहकर प्रकरण अभियुक्त बनाया गया है कि तथाकथित टिनशेड की जगह का मालिक प्रार्थी है। प्रकरण में प्रार्थी से कोई बरामदगी नहीं की जानी है। प्रार्थी के विरुद्ध पूर्व का एक आपराधिक प्रकरण संस्थित होना बताया गया है, जो धारा 323, 341 भारतीय दण्ड संहिता से संबंधित है। उनका तर्क है कि प्रार्थी अनुसंधान में भाग लेने के लिए तत्पर है। ऐसे में प्रार्थी-अभियुक्त को अग्रिम जमानत का लाभ दिया जावे।

इसके विपरीत योग्य लोक अभियोजक का तर्क है कि प्रार्थी-अभियुक्त के कब्जेशुदा टिनशेड से अवैध शराब बरामद हुई है, जो उसी के आधिपत्य से बरामद होना मानी जायेगी। प्रार्थी के विरुद्ध पूर्व का एक आपराधिक प्रकरण संस्थित है। प्रार्थी से गहन अन्वेषण किया जाना है। अतः प्रार्थी-अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र निरस्त किया जावे।

हमने तर्क-वितर्क पर मनन किया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया। प्रकरण में जिस टिनशेड से अवैध शराब बरामद हुई है, वह प्रार्थी के कब्जेशुदा होना बताया गया है। प्रार्थी मौके पर नहीं पाया गया है। प्रार्थी के विरुद्ध पूर्व का जो आपराधिक प्रकरण संस्थित होना बताया गया है, वह धारा 323, 341 आईपीसी का होकर मारपीट से संबंधित है। प्रार्थी के विरुद्ध पूर्व का इस प्रकृति का कोई प्रकरण संस्थित नहीं है। प्रार्थी के अधिवक्ता ने न्यायालय में प्रकट किया है कि प्रार्थी-अभियुक्त अनुसंधान में भाग लेकर उसमें सहयोग करने के लिए तत्पर है। अतः मामले की प्रकृति व प्रकरण के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए प्रार्थी-अभियुक्त को निर्देश दिया जाता है कि वह दिनांक 16.10.2026 तक अनुसंधान अधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर अनुसंधान में भाग ले। अनुसंधान अधिकारी आवश्यक अनुसंधान कर आगामी सुनवाई तिथि पर केस डायरी मय तथ्यात्मक रिपोर्ट न्यायालय में पेश करें।

पत्रावली दिनांक 30.10.2026 को सूचीबद्ध की जावे, तब तक इस प्रकरण में प्रार्थी-अभियुक्त को गिरफ्तार नहीं करें। प्रार्थी के दिनांक 16.10.2026 तक अनुसंधान अधिकारी के समक्ष उपस्थित नहीं होने की स्थिति में यह अन्तरिम आदेश स्वतः निरस्त समझा जावे।

(SHUBHA MEHTA),J